आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

11.5.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 224/2015–16

1. निर्मल कुमार पूर्वे, पिता–स्व0 भगवान पूर्वे, सा0–कालाबलुआ, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया।
2. मसो0 कौशल्या देवी, पति–स्व0 भगवान पूर्वे, सा0–कालाबलुआ, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया।

बनाम

1. मो0 जाबीर अहमद, पिता–जैनुद्दीन, सा0–कालाबलुआ बैजनाथपुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया।
2. मो0 साजिर अहमद, पिता–जैनुद्दीन, सा0–कलाबलुआ बैजनाथपुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया।

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक निर्मल कुमार पूर्वे व मसो0 कौशल्या देवी, पिता/पति–स्व0 भगवान पूर्वे, सा0–कालाबलुआ, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया की ओर से निम्न विवरण का दर्ज जमाबंदी सं0 1080 को बिहार नामान्तरण अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत रद्द करने हेतु इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक को वाद की प्रविष्टि के बिन्दु पर दिनांक 27.02.2016 को सुना तथा वाद को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई।

वादग्रस्त का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
बैजनाथपुर टापू अंचल–रानीगंज	249	529	66 डी0	1080

सूचनोपरांत विपक्षी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल किया। तदोपरांत उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को दिनांक 04.03.2017 को सुना गया। तत्पश्चात अभिलेख को आदेशार्थ निमित किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज श्री अजीत लाल पूर्वे द्वारा अपने तीन पुत्र 1 ठाकुर प्रसन्द पूर्वे 2 भगवान पूर्वे तथा 3

विन्देश्वरी प्र0 पूर्वे के नाम बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 6617, दिनांक 16.09.1958 द्वारा क्रय किया गया था। प्रश्नगत दस्तावेज की जमीन एवं अन्य खतियानी जमीन को मिलाकर तीनों भाईयों द्वारा दिनांक 16.01.1992 ई0 को आपसी पंचनामा द्वारा बँटवारा कर लिया गया। जिसमें से भगवान पूर्वे को सिडुल 'बी' के अनुसार 5.01 ए0 भूमि प्राप्त हुआ, जिसके प्रश्नगत खाता 249, खेसरा 529, रकवा 66 डी0 भूमि उनके हिस्से में प्राप्त हुआ, जिसको छोड़कर शेष भूमि का नामान्तरण उनके नाम से हुआ। नामान्तरण वाद सं0 1409/2011–12 द्वारा जमाबंदी सं0 1225 कायम हुआ। शेष फरीकेन अपने–अपने पंचनामा सिडुल के अनुसार अपना–अपना नामान्तरण कराकर लगान रसीद प्राप्त करते रहें। कलान्तर में भगवान पूर्वे की मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी कौशल्या देवी द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसपर अंचल अधिकारी, रानीगंज द्वारा प्रतिवेदित किया है कि खाता 249, खेसरा 529, रकवा 74 डी0 एवं खेसरा 527, रकवा 1.39 ए0, कुल 2.13 ए0 विन्देश्वरी पूर्वे के नाम जमाबंदी दर्ज था। आपसी पंचनामा बँटवारा में प्रश्नगत खेसरा 529, रकवा 66 डी0 जमीन भगवान पूर्वे को प्राप्त हुआ। भगवान पूर्वे की पत्नी कौशल्या देवी नामान्तरण कराने आयी तो पता चला कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि बिना नामान्तरण बाद के पूर्व हल्का कर्मचारी द्वारा वर्ष 1996–97 में मूल जमाबंदी से खारिज कर मो0 जाबीर अहमद व म0 साजिर अहमद, पिता–जैनुद्दीन विपक्षीगणों के नाम से जमाबंदी सं0 1080 दर्ज कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है, जो अवैध है। जिसे निरस्त करने की अनुशंसा अंचलाधिकारी, रानीगंज ने अपने पत्रांक 607, दिनांक 11.05.2015 द्वारा की है।

अतएव विपक्षी के नाम दर्ज जमाबंदी सं0 1080 को रद्द करते हुए आवेदकगणों के नाम प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी दर्ज करने का अनुरोध करते हैं।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण द्वारा जिस खेसरा 529, रकवा 66 डी0 का दावा कर रहें है, यह खेसरा 529 एवं अन्य खेसरा 527 वगैरह के साथ रकवा 2.13 एकड़ भूमि शे0 मुसहरू, पिता–शे0 जुम्मन की खतियानी भूमि थी। जिससे विन्देश्वरी पूर्वे द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 6617, दिनांक 16.07.1958 द्वारा खाता सं0 249, खेसरा सं0 527, रकवा 1.39 एवं खेसरा सं0 529 से रकवा 74 डी0, कुल रकवा 2.13 ए0 क्रय किया गया तथा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 249 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त किया। उक्त खरीदगी भूमि में से श्री विन्देश्वरी पूर्वे द्वारा विपक्षीगणों को बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 8101, दिनांक 06.09.1994 द्वारा रकवा 1.00 ए0 भूमि बिक्री कर दी गई। जिसका नामान्तरण उनके पक्ष में होकर जमाबंदी सं0 1080 कायम हुआ। क्रेता प्रश्नगत भूमि पर दखलकार है।

इनका यह भी कहना है कि पंचनामा बँटवारा निबंधित और न हीं सक्षम न्यायालय द्वारा मान्य है। उपरोक्त भूमि भगवान पूर्वे को हिस्से में प्राप्त हुई। किसी न्यायालय का डिग्री नहीं है। यह सिर्फ आपसी पारिवारिक बँटवारा है। जबकि प्रश्नगत

भूमि विन्देश्वरी पूर्वे की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति थी। इस प्रकार विपक्षी के नाम दर्ज जमाबंदी सही है। अतः जमाबंदी अवैध रूप से काएम नहीं है। जिसका रद्दीकरण नहीं किये जाने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, संलग्न साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मौजा–बैजनाथपुर टापू, थाना नं0 78 के खाता सं0 249, खेसरा 527, रकवा 1.39 ए0 तथा खेसरा सं0 529 से रकवा 74 डी0, कुल 2.13 ए0 भूमि विन्देश्वरी पूर्वे द्वारा बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 6617, दिनांक 16.07.1958 ई0 को खतियानी रैयत शेख मुसहरू, पिता–शेख जुम्मन से क्रय कर दखलकार रहते हुए विधिवत नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 249 दर्ज कराया गया और लगान भुगतान कर रसीद प्राप्त किया गया। उक्त स्वयं की अर्जित सम्पत्ति को विन्देश्वरी पूर्वे द्वारा विपक्षी मो0 जाबीर अहमद एवं साजिर अहमद, पिता–जैनुद्दीन, सा0–कालाबलुआ को बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 8101, दिनांक 06.09.1994 द्वारा प्रश्नगत दोनों खेसरा से रकवा कुल 1.00 एकड़ भूमि बिक्री की गई, जिसका जमाबंदी सं0 1080 क्रेता के पक्ष में दर्ज है।

आवेदक निर्मल कुमार पूर्वे एवं कौशल्या देवी, पिता/पति–स्व0 भगवान पूर्वे का दावा है कि प्रश्नगत खेसरा सं0 529, रकवा 66 डी0 भूमि उन्हें 1992 को आपसी पारिवारिक बँटवारा में प्राप्त है। जिसका दाखिल–खारिज उनके पक्ष में किया जाय तो पंचनामा बँटवारा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचनामा बँटवारा निबंधित नहीं है और उक्त बँटवारा में प्राप्त अन्य खाता, खेसरा की भूमि जिसमें खेसरा सं0 529 को छोड़कर दाखिल खारिज नामान्तरण वाद सं0 1409/2011–12 द्वारा भगवान पूर्वे के पक्ष में हो चुका है। खेसरा 529 की भूमि पर भगवान पूर्वे द्वारा अपने जीवन काल में कोई आपत्ति/दावा नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि भगवान पूर्वे को उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं थी। क्योंकि उक्त भूमि विन्देश्वरी पूर्वे की स्वयं की अर्जित भूमि थी। जिसे उनके द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 8101, दिनांक 06.09.1994 द्वारा विपक्षीगणों को बिक्री कर दी गई। जिसके विरूद्ध भी भगवान पूर्वे या उनके वारिशानों द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतः आवेदक के जमाबंदी रद्दीकरण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रानीगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०
अपर समाहर्त्ता,
अरररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अरररिया

ज्ञापांक 47 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 11 / 05 / 2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

11.5.17

अपर समाहर्त्ता,

अररिया

अ॰ कि॰ टी॰ प्रबंधक